

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प 11(3)(10)/मो0/आईसीडीएस /2018 72.045

दिनांक: 30-4-18

आदेश

प्रदेश में इन दिनों व्याप्त अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय प्रातः 8.00 बजे से 12.00 तक के स्थान पर दिनांक 01.05.2018 से प्रातः 7.00 बजे से 10.00 बजे तक एतद् द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में नाश्ता एवं गरम पोषाहार सहित समस्त गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जायेगी।


उक्त समय परिवर्तन दिनांक 30.06.2018 तक प्रभावी रहेगा। उसके उपरान्त कार्यसमय पूर्ववत रहेगा।


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प 11(3)(10)/मो0/आईसीडीएस /2018 72.046-750 दिनांक: 30-4-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (जन स्वास्थ्य) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त कलेक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
9. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त) को इस निर्देश के साथ कि समय परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे, जिससे कोई लाभान्वित होने से वंचित न रहे।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को इस निर्देश के साथ कि समय परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे, जिससे कोई लाभान्वित होने से वंचित न रहे।
12. कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (मो0)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर